



क्रमांक प. 20(84) प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट


जयपुर, दिनांक: 10.6.2019

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 23.10.2017 के क्रम में ऐसा संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को सूचना प्राप्त करने में कतिपय कठिनाईयां आ रही हैं। आम आवेदकों/संगठनों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कई विभागों के कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों के नाम एवं पदनाम का लेखन साईन बोर्ड लगा हुआ नहीं होने के कारण आमजनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई विभागों की वेबसाइट पर कार्यालय स्तर तक के लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों के नामों की सूचना प्रदर्शित नहीं की हुई है या अद्यतन नहीं की हुई हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) का मैनुअल भी कई विभागों द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। आपसे पुनः अनुरोध है कि :-


1. कार्यालय विशेष के कार्यों की सूचनाओं को जनता के लिए बोर्ड पर लगाया जाना जरूरी है उन्हें सूचीबद्ध करके उसी वेबसाइट पर भी नियमित रूप से डाली जानी चाहिए।
2. लोक सूचना अधिकारियों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाई जाये व इसमें कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना भी सार्वजनिक की जाये।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अनुरूप समस्त विभागों की वेबसाइट अनिवार्य रूप से बनवाई जायें तथा नियमित रूप से उसको अपडेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

उक्त निर्देशों की पालना समस्त लोक प्राधिकरण व उसके नियंत्रणाधीन संभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों में सुनिश्चित की जावें।


(रवि शंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक।
8. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव